राजस्थान सरकार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 01/2024

अपीलांटगण–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. जीवाराम पुत्र पोकरराम		1 हड़मान पुत्र पूनमाराम
2. मगनाराम पुत्र श्री पोकरराम जातियान जाट, निवासीयान देराजोणी सांइयों की ढाणी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।		2 नथुदेवी बेवा पुनामाराम 3 दौलाराम पुत्र श्री पुनमाराम 4 उप तहसीलदार जसोल 5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री भुपेन्द्र गहलोत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. सवाईराम सियाग, अधिवक्ता रेस्पोस्डेंटगण की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 12.06.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा बोटाला पुरोहितान, पटवार मण्डल चांदेसरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 228 रकबा 0.15 बीघा व खसरा नंबर 229 रकबा 131.10 बीघा 03 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.07.2015 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता

जिला कलक्टर
बालोतरा

रो भूमि व उरा पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर रो विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम राहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान राहमत हैं। भूमि राहखातेदारों की पैतृक हैं। इरा पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इरा न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा बोटाला पुरोहितान, पटवार मण्डल चांदेसरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 228 रकबा 0.15 बीघा व खसरा नंबर 229 रकबा 131.10 बीघा 03 विस्वा में अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। उक्त भूमि में प्रत्येक खातेदार का 1/4 हिस्सा रहा है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंट ने आपसी सहमति से अपना उक्त हिस्से का विभाजन करने हेतु तहसीलदार पचपदरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कहे अनुसार कुछ खाली पेपरो पर हस्ताक्षर कर दिये। अपीलांट ने नक्शे में रंग भरने को कहा तो रेस्पोडेंट ने बताया कि हल्कापटवारी मौके पर आकर मौके की वस्तुस्थित अनुसार पक्षकारों की उपस्थित में रंग भरेगे, किन्तु बिना अपीलांट को सुनवाई सबुत का अवसर दिये मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत राजस्व रेकर्ड में रंग भरकर वादगस्त भूमि का बंटवाड़ा कर दिया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य है। अधिनस्थ उप तहसीलदार जसोल तहसील पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत आपसी सहमत से विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत बाबत किसी प्रकार के तहसीलदार के हसताक्षर नहीं है, न ही तहसीलदार पचपदरा के समक्ष पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षर किये जाने बाबत का किसी प्रकार का अंकन ही नहीं है। केवल कार्यालय में बैठकर कागजी व सरसरी तौर से मनमानी ढंग से विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर मौके की वस्तुस्थिति के

जिला कलक्टर
बालोतरा

विपरीत बंटवाड़ा करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आलोच्य निरसत किय जाने योग्य है।

5. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुतविभाजन हेतु आवेदन पर उप तहसीलदार जसोल की सील लगी है है, किन्तु उपर पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं किये गये। उक्त आलोच्य विभाजन आदेश में पक्षकारों के बीच रास्ता कटा हुआ नहीं होने के उपरांत भी रासता काट किया गया, और गलत तरीके से मौके की वस्तुतस्थिति के विपरीत रास्ते की तरमीम दर्शा दी गई है, जिससे मौके पर पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थति उत्पन्न हो गई। उक्त आलोच्य विभाजन आदेश की जानकारी अपीलांट को नही रही, किन्तु हाल ही में दिनांक 11.01.2024 को अपीलांट द्वारा नकले प्राप्त करने पर अपीलांट को जानकारी हुई। उक्त खसरान आलोच्य भूमि पर हुए गलत विभाजन होने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश कमांक भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की सहमत है।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 01 ता 3 के योग्य अधिवक्ता द्वारा लिखित सहमति प्रस्तुत करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंटगण की पैतृक भुमि मौजा बोटाला पुरोहितान, पटवार मण्डल चांदेसरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 228 रकबा 0.15 बीघा व खसरा नंबर 229 रकबा 131.10 बीघा 03 विस्वा में (वर्तमान खसरान संख्या 828/229, 829/229, 826/229, 830/229, 229) अवस्थित है। उक्त विवादित भूमि पर गलत विभाजन होने पर पक्षकारान के मध्य मौके पर विवाद उत्पन हो गया है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश कमांक भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जा काश्त माफिक बंटवाड़ा पुनः करवाने हेतु समस्त रेस्पोडेंटगण सहमत है।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा बोटाला पुरोहितान, पटवार मण्डल चांदेसरा, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 228 रकबा 0.15 बीघा व खसरा नंबर 229 रकबा 131.10 बीघा 03 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.07.2015 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार

जिला कलक्टर
बालोतरा

आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का वाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 पारित किया गया। चूंकि समस्त पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। उक्त अपीलाधीन भूमि के संबंध में समस्त पक्षकारान के सहमति के आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति अनुसार पुनः बंटवाड़े हेतु रजामंद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश क्रमांक भू.अ./2015/453 दिनांक 14.07.2015 को अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा